- 1. Short title and commencement. (1) These rules may be called the Ministry of Culture, Multi-Tasking Staff (Group 'C') Posts Recruitment (Amendment) Rules, 2017.
 - (2) They shall come into force on the date of publication in the Official Gazette.
- 2. In the Ministry of Culture, Multi-Tasking Staff (Group 'C') Posts Recruitment Rules, 2015, -
 - (a) in rule 2, for the words "Pay Band and Grade Pay or Pay Scale" occurring at both the places, the words "Level in the Pay Matrix" shall be substituted;
 - (b) in the Schedule, -
 - (i) in column (4), for the heading, the following heading shall be substituted, namely:
 "Level in the Pay Matrix";
 - (ii) for the entry under column (4), the following entry shall be substituted, namely: "Level -1 (Rs. 18000-56900)".

[F. No. A-12018/1/2010-Estt.]

MANOJ DEHURY, Under Secy.

Note: The principle rules were published vide notification number G.S.R. 222, dated the 12th November, 2015 in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (i), dated 21st November, 2015.

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग)

नई दिल्ली, 22 मार्च, 2017

सा.का.नि. 100.—राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और

- (i) तकनीकी विकास महानिदेशालय, (उप महानिदेशक) भर्ती (संशोधन) नियम, 1981;
- (ii) तकनीकी विकास महानिदेशालय, (औद्योगिक सलाहकार) भर्ती (संशोधन) नियम, 1981;
- (iii) तकनीकी विकास महानिदेशालय, विकास अधिकारी (चयन श्रेणी) भर्ती (संशोधन) नियम, 1981;
- (iv) तकनीकी विकास महानिदेशालय, (समूह 'क' पद) भर्ती नियम, 1982;
- (v) तकनीकी विकास महानिदेशालय, (समूह 'क' पद) भर्ती (संशोधन) नियम, 1982 को उन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया है, औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, और भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योग और लोक उपक्रम मंत्रालय में तकनीकी अधिकारियों के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थातु:-
- **1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—**(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग) तकनीकी अधिकारी पद भर्ती नियम, 2017 है।
 - (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
 - 2. लागू होना.—ये नियम, इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट पदों को लागू होंगे।
- **3. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.**—यदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
- **4. भर्ती की पद्धित, आयु सीमा और अन्य अर्हताएं आदि.**—भर्ती की पद्धित, आयु सीमा, अर्हताएं और उक्त पद से संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

5. निरर्हता.—वह व्यक्ति-

- (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है; या
- (ख) जिसने अपने पित या अपनी पित्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगाः

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इन नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

- **6. शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
- 7. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या	चयन	या
			वेतनमान ।	अचयन पद	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
1. औद्योगिक सलाहकार	3* (2017)	साधारण केन्द्रीय सेवा,	स्तर- 13 क	चयन	
(इंजीनियरी)	,	समूह 'क', राजपत्रित,	(131100 - 216600 र)		
	*कार्यभार के आधार	अननुसचिवीय			
	पर परिवर्तन किया जा				
	सकता है।				

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं		
		होंगी या नहीं	
(6)	(7)	(8)	(9)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति	
द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा	या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा
विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों	
की प्रतिशतता	
(10)	(11)
(क) एक पद प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर	प्रोन्नति :
प्रतिनियुक्ति द्वारा (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)।	(i) वेतन मैट्रिक्स में स्तर 13 में ऐसे अपर औद्योगिक सलाहकार (इंजिनियरी)
(ख) दो पद प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत	जिन्होंने उस श्रेणी में दो वर्ष की नियमित सेवा की है, जिसके न हो सकने पर,

अल्पकालिक संविदा भी है) द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रोन्नति द्वारा । ऐसा अपर औद्योगिक सलाहकार (इंजिनियरी) जिसने अपर औद्योगिक सलाहकार (इंजिनियरी) और वेतन मैट्रिक्स में स्तर 12 में ज्येष्ठ विकास अधिकारी (इंजिनियरी) की श्रेणी में संयुक्त रूप से छह वर्ष की नियमित सेवा की हो और दोनों के न हो सकने पर ज्येष्ठ विकास अधिकारी (इंजिनियरी) की श्रेणी में छह वर्ष की नियमित सेवा की हो।

टिप्पण 1: जहां ऐसे किनष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे किनष्ठ व्यक्तियों सिहत, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अविध सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है):

केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्रों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थाओं या अर्ध सरकारी या स्वायत्त निकायों या कानुनी संगठनों के अधीन ऐसे अधिकारी :-

- (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या
- (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर -13 या समतुल्य में नियुक्ति के पश्चात नियमित आधार पर उस श्रेणी में दो वर्ष सेवा की हो ; और
 - (ग) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव है:-

आवश्यक :

- (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से यांत्रिकी या विद्युत या इलैक्टानिक्स या औद्योगिक इंजीनियरी में डिग्री :
- (ii) इंजीनियरी उद्योगों की योजना या विकास या उत्पादन या अनुसंधान तकनीक का कार्य करने वाली किसी औद्योगिक उपक्रमों या किसी भी केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्रों या पिल्लिक सेक्टर उपक्रमों या विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थाओं या अर्ध सरकारी या स्वायत्त निकायों या कानूनी संगठनों में यांत्रिकी या विद्युत या इलैक्ट्रानिक्स या औद्योगिक इंजीनियरी के क्षेत्र में पंद्रह वर्ष का व्यवहारिक अनुभव।

वांछनीय :

भारतीय परिस्थितियों के विशेष संदर्भ में और औद्योगिक परियोजनाओं के तकनीकी आर्थिक निर्धारण में इंजीनियरी या विनिर्माण प्रौद्योगिकी में नवीनतम रूझानों या तकनीकों की खोज करते हुए औद्योगिक उपक्रम में पांच वर्ष का अनुभव।

टिप्पण 1: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

(प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) की अवधि है साधारणतया पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।)

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	-	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा
		आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)		(13)
समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबध	में विचार करने के लिए) :-	किसी अधिकारी की प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत
	-	अल्पकालिक संविदा भी है) पर नियुक्ति करते समय
1. अध्यक्ष/सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग	-अध्यक्ष	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक
2. सचिव, औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग	- सदस्य	है।
3. सचिव, भारी उद्योग विभाग	- सदस्य	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2. अपर औद्योगिक सलाहकार (इंजीनियरी)	3* (2017) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, अननुसचिवीय	स्तर- 13 (118500 - 214100 रु)	चयन

(6)	(7)	(8)	(9)
लागू नहीं होता ।			

(10)(11)प्रोन्नति : (क) दो पद प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा (जिसके (i) वेतन मैट्रिक्स में स्तर 12 में ऐसे ज्येष्ठ विकास अधिकारी (इंजिनियरी) जिन्होंने उस अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)। श्रेणी में पांच वर्ष की नियमित सेवा की है, जिसके न हो सकने पर, (ख) एक पद प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) द्वारा ऐसा ज्येष्ठ विकास अधिकारी (इंजिनियरी) जिसने ज्येष्ठ विकास अधिकारी (इंजिनियरी) जिसके न हो सकने पर प्रोन्नति द्वारा । और वेतन मैट्रिक्स में स्तर 11 में विकास अधिकारी (इंजिनियरी) की श्रेणी में संयुक्त रूप से दस वर्ष की नियमित सेवा की हो जिसमें से कम से कम तीन वर्ष नियमित सेवा ज्येष्ठ विकास अधिकारी (इंजिनियरी)की श्रेणी में की हो। टिप्पण 1: जहां ऐसे किनष्ट व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी

अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो ।

प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है):

केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्रों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थाओं या अर्ध सरकारी या स्वायत्त निकायों या कानूनी संगठनों के अधीन ऐसे अधिकारी :-

- (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या
- (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर 12 या समतुल्य में नियुक्ति के पश्चात नियमित आधार पर उस श्रेणी में पांच वर्ष सेवा की हो ; और
- (ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव है :-

आवश्यक:

- (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से यांत्रिकी या विद्युत या इलैक्ट्रानिक्स या औद्योगिक इंजीनियरी में डिग्री ;
- (ii) इंजीनियरी उद्योगों की योजना या विकास या उत्पादन या अनुसंधान तकनीक का कार्य करने वाली किसी औद्योगिक उपक्रमों या किसी भी केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्रों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थाओं या अर्ध सरकारी या स्वायत्त निकायों या कानूनी संगठनों में यांत्रिकी या विद्युत या इलैक्ट्रानिक्स या औद्योगिक इंजीनियरी के क्षेत्र में बारह वर्ष का व्यवहारिक अनुभव।

वांछनीय:

भारतीय परिस्थितियों के विशेष संदर्भ में और औद्योगिक परियोजनाओं के तकनीकी-आर्थिक निर्धारण में इंजीनियरी या विनिर्माण प्रौद्योगिकी में नवीनतम रूझानों या तकनीकों की खोज करते हुए औद्योगिक उपक्रम में चार वर्ष का अनुभव ।

टिप्पण 1: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) की अवधि है साधारणतया पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(12)	(13)	
समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबध में विच	किसी अधिकारी की प्रतिनियुक्ति	
1. अध्यक्ष/सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग	-अध्यक्ष	(जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) पर नियुक्ति करते समय संघ लोक
2. सचिव, औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग	- सदस्य	सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।
3. सचिव, भारी उद्योग विभाग	- सदस्य	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3. ज्येष्ठ विकास अधिकारी	7*	साधारण केन्द्रीय सेवा,	स्तर-12	चयन
(इंजीनियरी)	(2017)	समूह 'क', राजपत्रित,	(78800-209200 रु.)	
	,	अननुसचिवीय		
	 *कार्यभार के आधार	-		
	पर परिवर्तन किया जा			
	सकता है।			

(6)	(7)	(8)	(9)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(क) तीन पद प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक

(10)

र् संविदा भी है) द्वारा ।

(ख) चार पद प्रतिनियुक्त (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रोन्नति द्वारा।

प्रोन्नतिः

वेतन मैट्रिक्स में स्तर-11 में ऐसे विकास अधिकारी (इंजिनियरी) जिन्होंने उस श्रेणी में पांच वर्ष की नियमित सेवा की है।

(11)

टिप्पण 1: जहां ऐसे किनष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे किनष्ठ व्यक्तियों सिहत, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अविध सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है):

केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्रों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थाओं या अर्ध सरकारी या स्वायत्त निकायों या कानूनी संगठनों के अधीन ऐसे अधिकारी :-

- (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या
 - (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स स्तर-11 या समतुल्य में नियुक्ति के पश्चात नियमित आधार पर उस क्षेणी में पांच वर्ष सेवा की हो; और
- (ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं, और अनुभव है:-

आवश्यक:

- (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से यांत्रिकी या विद्युत या इलैक्ट्रानिक्स या औद्योगिक इंजीनियरी में डिग्री:
- (ii) इंजीनियरी उद्योगों की योजना या विकास या उत्पादन या अनुसंधान तकनीक का कार्य करने वाली किसी औद्योगिक उपक्रमों या किसी भी केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्रों या पिळ्लिक सेक्टर उपक्रमों में यांत्रिकी या विद्युत या इलैक्ट्रानिक्स या औद्योगिक इंजीनियरी के क्षेत्र में दस वर्ष का व्यवहारिक अनुभव।

वांछनीयः

भारतीय परिस्थितियों के विशेष संदर्भ में और औद्योगिक परियोजनाओं के तकनीकी-आर्थिक निर्धारण में इंजीनियरी या विनिर्माण प्रौद्योगिकी में नवीनतम रूझानों या तकनीकों की खोज करते हुए औद्योगिक उपक्रम में दो वर्ष का अनुभव।

टिप्पण 1: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) की अवधि है साधारणतया चार वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(12)		(13)
समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबध में विचार करने के लिए) :-		किसी अधिकारी की प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) पर नियुक्ति करते
1. अध्यक्ष/सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग	-अध्यक्ष	समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना
2. सचिव, औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग	- सदस्य	आवश्यक है।
3. सचिव, भारी उद्योग विभाग	- सदस्य	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4. विकास अधिकारी	7*	साधारण केन्द्रीय सेवा,	स्तर-11	चयन
(इंजीनियरी)	(2017)	समूह 'क', राजपत्रित,	(67700-208700 रु.)	
,		अननुसचिवीय		
	*कार्यभार के आधार			
	पर परिवर्तन किया जा			
	सकता है।			

(6)	(7)	(8)	(9)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(10)	(11)
(क) पांच पद प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो	प्रोन्नतिः
सकने पर प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-10 में ऐसे सहायक विकास अधिकारी (इंजिनियरी) जिन्होंने उस श्रेणी में पांच वर्ष की नियमित सेवा की है।
है) द्वारा । (ख) दो पद प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) द्वारा	टिप्पण 1: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ

जिसके न हो सकने पर प्रोन्नति द्वारा। व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे किनष्ठ व्यक्तियों सिहत, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नित के लिए अपनी परिवीक्षा की अविध सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है):

केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्रों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थाओं या अर्ध सरकारी या स्वायत्त निकायों या कानूनी संगठनों के अधीन ऐसे अधिकारी:-

- (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या
 - (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स स्तर-10 या समतुल्य में नियुक्ति के पश्चात नियमित आधार पर उस क्षेणी में पांच वर्ष सेवा की हो; और
- (ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं, और अनुभव है:-

आवश्यक:

- (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यलय या संस्थान से यांत्रिकी या विद्युत या इलेक्ट्रानिक्स या औद्योगिक इंजीनियरी में डिग्री;
- (ii) इंजीनियरी उद्योगों की योजना या विकास या उत्पादन या अनुसंधान तकनीक का कार्य करने वाली किसी औद्योगिक उपक्रमों या किसी भी केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्रों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों में यांत्रिकी या विद्युत या इलैक्ट्रानिक्स या औद्योगिक इंजीनियरी के क्षेत्र में पांच वर्ष का व्यवहारिक अनुभव।

वांछनीयः

भारतीय परिस्थितियों के विशेष संदर्भ में और औद्योगिक परियोजनाओं के तकनीकी-आर्थिक निर्धारण में इंजीनियरी या विनिर्माण प्रौद्योगिकी में नवीनतम रूझानों या तकनीकों की खोज करते हुए औद्योगिक उपक्रम में दो वर्ष का अनुभव।

टिप्पण 1: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) की अवधि है साधारणतया चार वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(12)	(13)	
समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबध में विचार करने के लिए) :-	किसी अधिकारी की प्रतिनियुक्ति (जिसके	
1. सचिव, औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग -अध्यक्ष	अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) पर नियुक्ति करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श	

2. संयुक्त सचिव(स्थापना), औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग	- सदस्य	करना आवश्यक है।
3. ज्येष्ठतम औद्योगिक सलाहकार (इंजीनियरी)	- सदस्य	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5. सहायक विकास अधिकारी	8*	साधारण केन्द्रीय सेवा,	स्तर-10	लागू नहीं होता
(इंजीनियरी)	(2017)	समूह 'क', राजपत्रित,	(56100-177500 रु.)	
,		अननुसचिवीय		
	*कार्यभार के आधार			
	पर परिवर्तन किया जा			
	सकता है।			

(6)	(7)	(8)	(9)
समय-समय पर संघ लोक सेवा आयोग	संयुक्त इंजीनियरी सेवा	लागू नहीं होता	सीधे भर्ती किए जाने वाले
द्वारा आयोजित इंजिनियरी सेवा	परीक्षा के आधार पर भर्तीः		व्यक्तियों के लिए दो वर्ष।
परीक्षा के लिए विहित आयु सीमा के	सीधी भर्ती के लिए शैक्षिक		
अनुसार।	अर्हताएं समय-समय पर संघ		
	लोक सेवा आयोग द्वारा		
टिप्पणः आयु सीमा अवधारित करने	आयोजित इंजिनियरी सेवा		
के लिए जिस वर्ष में परीक्षा आयोजित	परीक्षा के लिए विहित		
हुई है की उस वर्ष की पहली जनवरी	शैक्षिक अर्हताएं के अनुसार		
होगी।	होगी।		

(10)	(11)
संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित संयुक्त इंजीनियरी सेवा परीक्षा के परिणाम के आधार पर सीधी भर्ती द्वारा।	लागू नहीं होता
टिप्पणः पदधारी के प्रतिनियुक्ति या लंबी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किन्हीं अन्य परिस्थितियों में एक वर्ष या इससे अधिक अविध के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियां केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्रों के अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी जा सकेंगी:-	
(क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं:- या	
(ii)जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स स्तर-8 या समतुल्य में नियुक्ति के पश्चात नियमित आधार पर उस क्षेणी में दो वर्ष सेवा की हो; और	
(ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं, और अनुभव है:-	
(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यलय या संस्थान से यांत्रिकी या विद्युत या इलेक्ट्रानिक्स या धातु विज्ञान इंजीनियरी में बैचलर डिग्री;	

(ii) यांत्रिकी या विद्युत या इलेक्ट्रानिक्स या धातु विज्ञान इंजीनियरी के क्षेत्र में उत्पादन या अनुसंधान में तीन वर्ष का अनुभव।

(प्रतिनियक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।)

(12)	(13)	
विभागीय पुष्टि समिति (सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों की पुष्टि के संबंध में विचार करने के		संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श
लिए):-		करना आवश्यक है।
1. संयुक्त सचिव (स्थापना) औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग	-अध्यक्ष	
2. उप सचिव/निदेशक (स्थापना), औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग	- सदस्य	
3. ज्येष्ठतम औद्योगिक सलाहकार (इंजीनियरी)	- सदस्य	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
6. औद्योगिक सलाहकार	1*	साधारण केन्द्रीय सेवा,	स्तर-13 क	लागू नहीं होता
(रसायन)	(2017)	समूह 'क', राजपत्रित,	(131100-216600 रु.)	
		अननुसचिवीय		
	*कार्यभार के आधार			
	पर परिवर्तन किया जा			
	सकता है।			

(6)	(7)	(8)	(9)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(10)	(11)
संयुक्त पद्धति द्वारा	संयुक्त पद्धति [प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) + प्रोन्नति]
[प्रितिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत	3. 14 (1-14) - 14 (14) - 1
अल्पकालिक संविदा भी है)]+प्रोन्नति	केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थाओं या अर्द्ध सरकारी या स्वायत्त निकायों या कानूनी संगठनों के अधीन ऐसे अधिकारी:-
	(क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या
	(ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर-13 या समतुल्य में नियुक्ति के पश्चात नियमित आधार पर उस श्रेणी में दो वर्ष सेवा की हो; या
	(iii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर-12 या समतुल्य में नियुक्ति के

पश्चात नियमित आधार पर उस श्रेणी में छह वर्ष सेवा की हो; और

(ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव है:-

आवश्यक :

- 1. (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से रसायन में मास्टर डिग्री;
 - (ii) किसी भी सरकारी विभाग या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थाओं में रसायन उद्योगों की योजना या विकास या उत्पादन या अनुसंधान तकनीकों का ग्यारह वर्ष का व्यवहारिक अनुभव; या
- 2. (I) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से रसायन इंजीनियरी में डिग्री;
 - (ii) किसी भी सरकारी विभाग या **पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थाओं** में रसायन उद्योगों की योजना या विकास या उत्पादन या अनुसंधान तकनीकों का बारह वर्ष का व्यवहारिक अनुभव।

वांछनीय:

- (i) भारतीय परिस्थितियों के विशेष संदर्भ में और औद्योगिक परियोजनाओं के तकनीकी-आर्थिक निर्धारण में रसायन या विनिर्माण प्रौद्योगिकी में नवीनतम रूझानों या तकनीकों की खोज करते हुए रसायन उद्योगों में पांच वर्ष का अनुभव।
- (ii) अंग्रेजी के अलावा किसी यूरोपी भाषा जैसे जर्मनी या फ्रेंच या रूसी या स्पेनी में डिप्लोमा।

वेतन मैट्रिक्स में स्तर-12 में विभागीय ज्येष्ठ विकास अधिकारी (रसायन) जिसने उस श्रेणी में छह वर्ष नियमित सेवा की है पर बाहरी व्यक्तियों के साथ विचार किया जाएगा और यदि वह पद पर नियुक्ति के लिए चयनित हो जाता है/जाती है, तो वह पद प्रोन्नति से भरा हुआ समझा जाएगा।

टिप्पण 1 :- पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) की अवधि है साधारणतया पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(12)	(13)
लागू नहीं होता	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है ।

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
7	7. ज्येष्ठ विकास	2*	साधारण केंद्रीय सेवा,	स्तर –12	लागू नहीं होता
3	अधिकारी(रसायन)	(2017)	। समूह 'क', राजपत्रित,	(78800-209200 रु.)	
		* कार्यभार के आधार पर	अननुसचिवीय		
		परिवर्तन किया जा सकता है।			
		`			

(6)	(7)	(8)	(9)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(10) (11)

पचास प्रतिशत संयुक्त पद्धति द्वारा [प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)+ प्रोन्नति]

पचास प्रतिशत प्रतिनियुक्ति द्वारा (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) संयुक्त पद्धति [प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) + प्रोन्नित]
प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है):

केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों या पिब्लिक सेक्टर उपक्रमों या विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थाओं या अर्द्ध सरकारी या स्वायत्त निकायों या कानूनी संगठनों के अधीन ऐसे अधिकारी:-

- (क) (i) जो **मूल काडर या विभाग में** नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या
 - (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर-11 या समतुल्य में नियुक्ति के पश्चात नियमित आधार पर उस श्रेणी में पांच वर्ष सेवा की हो; और
- (ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अईताएं और अनुभव है :-

आवश्यक:

- 1. (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से रसायन में मास्टर डिग्री;
 - (ii) किसी भी सरकारी विभाग या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थाओं में रसायन उद्योगों की योजना या विकास या उत्पादन या अनुसंधान तकनीकों का नौ वर्ष का व्यवहारिक अनुभव; या
- 2. (I) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से रसायन इंजीनियरी में डिग्री;
 - (ii) किसी भी सरकारी विभाग या **पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान** संस्थाओं में रसायन उद्योगों की योजना या विकास या उत्पादन या अनुसंधान तकनीकों का दस वर्ष का व्यवहारिक अनुभव

वांछनीय:

- (i) भारतीय परिस्थितियों के विशेष संदर्भ में और औद्योगिक परियोजनाओं के तकनीकी-आर्थिक निर्धारण में रसायन या विनिर्माण प्रौद्योगिकी में नवीनतम रूझानों या तकनीकों की खोज करते हुए रसायन उद्योगों में पांच वर्ष का अनुभव।
- (ii) अंग्रेजी के अलावा किसी यूरोपी भाषा जैसे जर्मनी या फ्रेंच या रूसी या स्पेनी में डिप्लोमा।

वेतन मैट्रिक्स में स्तर-11 में ऐसे विभागीय विकास अधिकारी (रसायन) जिसने उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की है पर बाहरी व्यक्तियों के साथ विचार किया जाएगा और यदि वह पद पर नियुक्ति के लिए चयनित हो जाता है/जाती है, तो वह पद प्रोन्नित से भरा हुआ समझा जाएगा।

टिप्पण 1: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

(प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) की अवधि है साधारणतया चार वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(12)	(13)
लागू नहीं होता ।	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
8. विकास अधिकारी (रसायन)	2*	साधारण केंद्रीय सेवा,	स्तर –11	चयन
	(2017)	समूह 'क', राजपत्रित,	(67700-208700 रु.)	
		अननुसचिवीय		
	*कार्यभार के आधार			
	पर परिवर्तन किया जा			
	सकता है।			

(6)	(7)	(8)	(9)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(10)(11)पचास प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा जिसके न प्रोन्नतिः हो सकने पर प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत वेतन मैट्रिक्स में स्तर-10 में ऐसे सहायक विकास अधिकारी (रसायन) जिन्होंने उस श्रेणी में पांच वर्ष की नियमित सेवा की है। अल्पकालिक संविदा भी है) द्वारा। टिप्पण 1 :- जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता पचास प्रतिशत प्रतिनियुक्ति (जिसके सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) द्वारा। व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम को, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है): केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों या **पब्लिक सेक्टर उपक्रमों** या विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थाओं या अर्द्ध सरकारी या स्वायत्त निकायों या कानूनी संगठनों के अधीन ऐसे अधिकारी:-(क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या

- (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर-10 या समतुल्य में नियुक्ति के पश्चात नियमित आधार पर उस श्रेणी में पांच वर्ष सेवा की हो; या
- (ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव है :-

आवश्यक :

- (अ) (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से रसायन में मास्टर डिग्री;
 - (ii) किसी भी सरकारी विभाग या **पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या मान्यताप्राप्त** अनुसंधान संस्थाओं में रसायन उद्योगों की योजना या विकास या उत्पादन या अनुसंधान तकनीकों का चार वर्ष का व्यवहारिक अनुभव; या
- (आ) (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से रसायन इंजीनियरी में डिग्री;
 - (ii) किसी भी सरकारी विभाग या **पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या मान्यताप्राप्त** अनुसंधान संस्थाओं में रसायन उद्योगों की योजना या विकास या उत्पादन या अनुसंधान तकनीकों का पांच वर्ष का व्यवहारिक अनुभव।

वांछनीय:

- (i) भारतीय परिस्थितियों के विशेष संदर्भ में और औद्योगिक परियोजनाओं के तकनीकी-आर्थिक निर्धारण में रसायन या विनिर्माण प्रौद्योगिकी में नवीनतम रूझानों या तकनीकों की खोज करते हुए रसायन उद्योगों में तीन वर्ष का अनुभव।
- (ii) अंग्रेजी के अलावा किसी यूरोपी भाषा जैसे जर्मनी या फ्रेंच या रूसी या स्पेनी में डिप्लोमा।

टिप्पण 1: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

[प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) की अवधि है साधारणतया चार वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(12)		(13)
विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबध में विचार करने के लिए) :-		किसी अधिकारी की प्रतिनियुक्ति (जिसके
1. संयुक्त सचिव (स्थापना), औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग	- अध्यक्ष	अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) पर नियुक्ति करते समय संघ लोक सेवा
2. उप सचिव/निदेशक (स्थापना), औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग	- सदस्य	आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।
3. उप सचिव/निदेशक, औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग या		
भारी उद्योग विभाग	- सदस्य	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
9. सहायक विकास अधिकारी	2*	साधारण केंद्रीय सेवा,	स्तर –10	लागू नहीं होता
(रसायन)	(2017)	समूह 'क', राजपत्रित,	(56100-177500 रू)	
		अननुसचिवीय		
	*कार्यभार के आधार			
	पर परिवर्तन किया जा			
	सकता है।			

(6)	(7)	(8)	(9)
(6) 35 वर्ष से अनिधक (केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) टिप्पण:-1 आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश,	आवश्यक: (अ) (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से रसायन में मास्टर डिग्री; (ii) किसी भी सरकारी विभाग या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थाओं में रसायन उद्योगों की योजना या विकास या उत्पादन या अनुसंधान तकनीकों का दो वर्ष का व्यवहारिक अनुभव; या (आ) (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से रसायन इंजीनियरी में डिग्री; (ii) किसी भी सरकारी विभाग या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों	(8) लागू नहीं होता	(9) सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए एक वर्ष ।
जसम, मवालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड़, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पिति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)	या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थाओं में रसायन उद्योगों की योजना या विकास या उत्पादन या अनुसंधान तकनीकों का तीन वर्ष का व्यवहारिक अनुभव। वांछनीय: (i) भारतीय परिस्थितियों के विशेष संदर्भ में और औद्योगिक परियोजनाओं के तकनीकी-आर्थिक निर्धारण में रसायन या विनिर्माण प्रौद्योगिकी में नवीनतम रूझानों या तकनीकों की खोज करते हुए रसायन उद्योगों में एक वर्ष का अनुभव; (ii) अंग्रेजी के अलावा किसी यूरोपी भाषा जैसे जर्मनी या फ्रेंच या रूसी या स्पेनी में डिप्लोमा।		
	टिप्पण 1- अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाए संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है। टिप्पण 2:- अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाए संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तयों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।		

(10)	(11)
सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं होता ।
टिप्पण:- पदधारी के प्रतिनियुक्ति या लम्बी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किन्हीं अन्य परिस्थितियों में एक वर्ष या इससे अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियां केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्रों के अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी जा सकेंगी:-	
(क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं, और	
(ख) जिनके पास स्तंभ (7) के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव है।	

(12)		(13)
विभागीय पुष्टि समिति (सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति	यों की पुष्टि के	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना
संबंध में विचार करने के लिए):-		आवश्यक है।
1. संयुक्त सचिव(स्थापना), औद्योगिक नीति		
और संवर्धन विभाग	– अध्यक्ष	
2. उप सचिव/निदेशक (स्थापना), औद्योगिक नीति		
और संवर्धन विभाग	- सदस्य	
3. उप सचिव/निदेशक, औद्योगिक नीति और		
संवर्धन विभाग या भारी उद्योग विभाग	- सदस्य	

[फा.सं. ए-12018/1/2010-ई-1 खण्ड-II]

दयानिधि जोशी, अवर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Industrial Policy and Promotion)

New Delhi, the 22nd March, 2017

- **G.S.R.** 100.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the:-
 - (i) Directorate General of Technical Development (Deputy Director General) Recruitment (Amendment) Rules, 1981;
 - (ii) Directorate General of Technical Development (Industrial Adviser) Recruitment (Amendment) Rules, 1981;
 - (iii) Directorate General of Technical Development, Development Officer (Selection Grade) Recruitment (Amendment) Rules, 1981;
 - (iv) Directorate General of Technical Development (Group A Posts) Recruitment Rules, 1982;
 - (v) Directorate General of Technical Development (Group A Posts) Recruitment (Amendment) Rules, 1982;

except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules to regulate the recruitment to the posts of the technical officers in the Department of Industrial Policy and Promotion, Ministry of Commerce and Industry and Department of Heavy Industry, Ministry of Heavy Industries and Public Enterprises, namely:-

- 1. **Short title and commencement.**—(1)These rules may be called the Ministry of Commerce and Industry (Department of Industrial Policy and Promotion) Technical Officers Posts Recruitment Rules, 2017.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

- 2. **Application.**—These rules shall apply to recruitment to the posts specified in column (1) of the schedule annexed hereto.
- 3. **Number of posts, classification and pay in pay matrix.**—The number of post, its classification and the pay in pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.
- 4. **Method of recruitment, age-limit and other qualification, etc.**—The method of recruitment, age-limit, qualification and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.
- 5. **Disqualifications.**—No person,-
 - (a) who had entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
 - (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

- 6. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, and in consultation with Union Public Service Commission relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
- 7. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservations and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

8.

SCHEDULE

Name of post.	Number of Post.	Classification.	Level in the pay matrix.	Whether Selection or Non-Selection Post.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Industrial Adviser (Engineering)	3* (2017) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service Group 'A' Gazetted, Non-Ministerial	Level-13 A (Rs. 131100- 216600)	Selection

Age limit for direct recruits.	Education and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment: whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	 (A) One post by promotion failing which by deputation (including short-term contract); (B) Two posts by deputation (including short-term contract) failing which by promotion.

In case of recruitment by promotion/deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/ absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making
(11)	(12)	recruitment.
(11)	(12)	(13)
Promotion: (i) Additional Industrial Advisor (Engineering) in level 12	Group 'A' Departmental Promotion Committee (for	Consultation with Union
(i) Additional Industrial Adviser (Engineering) in level-13		
in the pay matrix with two years regular service in the	considering promotion):-	Public Service Commission
grade,	(I) Chairman Manchan Hairn	
failing which	(I) Chairman/Member, Union	necessary while
failing which,	Public Service Commission	appointing an officer on
Additional Industrial Adviser (Engineering) with	– Chairman.	
Additional Industrial Adviser (Engineering) with combined six years' regular service in the grades of	(II) Secretary, Department of	Deputation (including short-
Additional Industrial Adviser (Engineering) and Senior	Industrial Policy and Promotion	term contract).
Development Officer (Engineering) in level 12 in the pay	– Member	term contract).
matrix and failing both Senior Development Officer	(III) Secretary, Department of	
(Engineering) with six years' regular service in the grade.	Heavy Industry – Member.	
Note 1: Where juniors who have completed their		
qualifying or eligibility service are being considered for		
promotion, their senior would also be considered provided		
they are not short of the requisite qualifying or eligibility		
service by more than half of such qualifying /eligibility		
service or two years, whichever is less and have		
successfully completed their probation period for		
promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying/eligibility		
service.		
Service.		
Deputation (including short-term contract):		
(I) Officers under the Central/State Government/ Union territories/Public Sector Undertakings/ Universities/Recognised Research Institutions/ Semi-Government or Autonomous or Statutory Organisations:-		
(A) (I) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre/Department; or		
(II) with two years' service in the grade rendered after		
appointment thereto on regular basis in level 13 in the pay		
matrix or equivalent in the parent cadre/Department, and		
matrix of equivalent in the parent eather. Separtment, and		
(B) possessing the following educational qualifications and		
experience:		
Essential:		
(I) Degree in Mechanical/Electrical/ Electronics/Industrial		
Engineering from a recognised University/Institute.		
(II) Fifteen years' practical experience in the field of		
Mechanical/Electrical/Electronics/Industrial Engineering		
in any Industrial Undertaking dealing with Planning/		
Development/Production/Research Techniques of		
Engineering Industry or in any Central/State		
Government/Union territories /Public Sector Undertakings/		
Universities/Recognised Research Institutions/ Semi-		
Government or Autonomous or Statutory Organisations.		
1	İ	I

Desirable:

Five years' experience in industrial undertaking exploring latest trends/ techniques in engineering/ manufacturing technology with special reference to Indian conditions in techno-economic assessment of industrial projects.

Note 1: The Departmental Officers in the feeder category who are in direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

[Period of deputation(including short-term contract) including period of deputation (including short-term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organisation or Department of the Central Government, shall ordinarily not exceed five years. The maximum age limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall be not exceeding fifty six years as on the closing date of the receipt of applications.]

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2. Additional Industrial	3*	General Central Service	Level-13	Selection
Adviser		Group 'A' Gazetted,	(Rs. 118500-214100)	
(Engineering)	(2017)	Non-Ministerial		
	*Subject to variation			
	dependent on			
	workload.			

(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	(A) Two posts by promotion failing which by deputation (including short-term contract).(B) One posts by deputation (including short- term contract) failing which by promotion.

(11)	(12)	(13)
Promotion:	Group 'A' Departmental	Consultation
Senior Development Officer (Engineering) in level 12	Promotion Committee (for	with Union
in the pay matrix with five years regular service in the	considering promotion):	Public Service
grade; failing which,		Commission
	(i) Chairman/Member Union	necessary while
Senior Development Officer (Engineering) with	Public Service Commission	appointing an
combined ten years' regular service in the grades of	- Chairman	officer on
Senior Development Officer (Engineering) and		deputation
Development Officer (Engineering) in level 11 in the	(ii) Secretary, Department of	(including short-
pay matrix with minimum three years regular service in	Industrial Policy and Promotion	term contract).
the grade of Senior Development Officer(Engineering).	– Member	
Note 1: Where juniors who have completed their	(iii) Secretary, Department of	
qualifying or eligibility service are being considered	Heavy Industry – Member	
for promotion, their senior would also be considered		
provided they are not short of the requisite qualifying		

or eligibility service by more than half of such qualifying /eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying/eligibility service.

Deputation (including short-term contract):

Officers under the Central/State Government/Union territories/Public Sector Undertakings/Universities/Recognised Research Institutions/Semi-Government or Autonomous or Statutory organisations:-

- (A) (I) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre/Department; or
- (II) with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the level 12 in the pay matrix; and
- (B) possessing the following educational qualifications and experience:

Essential:

- (I) Degree in Mechanical/Electrical/ Electronics/Industrial Engineering of a recognised University or Institute.
- (II) Twelve years' practical experience in the field of Mechanical/Electrical/Electronics/ Industrial Engineering in any industrial undertaking dealing with planning/development/ production/ research in engineering industry or in any Central/State Government Department or in any Public Sector Undertaking.

Desirable:

Four years' experience in industrial undertaking exploring latest trends/ techniques in engineering/ manufacturing technology with special reference to Indian conditions and techno-economic assessment of industrial projects.

Note 1: The Departmental officers in the feeder category who are in direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

Period of deputation (including short-term contract) including period of deputation(including short-term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organisation or Department of the Central Government, shall ordinarily not exceed five years. The maximum age limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall be not exceeding fifty six years as on the closing date of the receipt of applications.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3. Senior	7*	General Central	Level-12	Selection
Development	(2017)	Service Group 'A'	(Rs. 78800-209200)	
Officer	*Subject to variation	Gazetted, Non-		
(Engineering)	dependent on workload.	Ministerial		

(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Not	Not	Not	Not	(A) Three posts by promotion failing
applicable.	applicable.	applicable.	applicable.	which by deputation(including short-
				term contract).
				(B) Four posts by deputation(including
				short-term contract) failing which by
				promotion.

(11)	(12)	(13)
Promotion: Development Officer (Engineering) in level 11 in the pay matrix with five years regular service	Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion):	Consultation with Union Public Service Commission necessary while
in the grade.	(i) Chairman/Member Union Public Service Commission — Chairman	appointing an officer on Deputation
Note 1.: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their senior would also be considered provided they are not short	(ii) Secretary, Department of Industrial Policy and Promotion — Member	(including short-term contract).
of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying /eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying/eligibility service.	(iii) Secretary, Department of Heavy Industry – Member	
Deputation(including short-term contract): Officers under the Central/State Government/Union territories/Public Sector Undertakings/ Universities/Recognised Research Institutions/Semi-Government or Statutory or Autonomous bodies:-		
(A) (I) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre/department; or (II) with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in level 11 in the pay matrix or equivalent in the parent cadre/department; and		
(B) possessing the following educational qualifications and experience:		
Essential: (I) Degree in Mechanical/Electrical/ Electronics/Industrial Engineering from a recognised University /Institute. (II) Ten years' practical experience in the field of Mechanical/Electrical/Electronics/Industrial Engineering in any industrial undertaking dealing with planning/development/ production/ research techniques of engineering industry or		

in any Central/State Government Department or in any Public Sector Undertaking.

Desirable:

Two years' experience in industrial undertaking exploring latest trends/ techniques in engineering/ manufacturing technology with special reference to Indian conditions and in techno-economic assessment of industrial projects.

Note 1: The Departmental Officers in the feeder category who are in direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

Period of deputation(including short-term contract) including period of deputation (including short-term contract) in another excadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organisation or Department of the Central Government, shall ordinarily not exceed four years. The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty six years as on the closing date of the receipt of applications.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4. Development	7*	General Central Service	Level-11	Selection
Officer		Group 'A' Gazetted,	(Rs. 67700-208700)	
(Engineering)	(2017)	Non-Ministerial		
	*Subject to variation			
	dependent on workload.			

Ī	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
ſ	Not	Not	Not	Not	(A) Five posts by promotion failing which by
	applicable.	applicable.	applicable.	applicable.	deputation (including short-term contract).
					(B) Two posts by deputation (including short-
					term contract) failing which by promotion.

(11)	(12)	(13)
Promotion:	1. Group 'A' Departmental	Consultation with
Assistant Development Officer (Engineering) in	Promotion Committee (for	Union Public
level 10 in the pay matrix with five years regular	considering promotion):	Service
service in the grade.		Commission
Note 1. : Where juniors who have completed	(i) Secretary, Department of Industrial	necessary while
their qualifying or eligibility service are being	Policy and Promotion	appointing an
considered for promotion, their senior would also	– Chairman	officer on
be considered provided they are not short of the	(ii) Joint Secretary (Establishment),	Deputation (including short-
requisite qualifying or eligibility service by more	Department of Industrial Policy and	term contract).
than half of such qualifying /eligibility service or	Promotion – Member	term contract).
two years, whichever is less and have	(iii) Senior Most Industrial	
successfully completed their probation period for	Advisor(Engineering) – Member	
promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such		
then jumois who have already completed such		

qualifying/eligibility service.

Deputation (including short-term contract):

Officers under the Central/State Government/Union territories/Public Sector Undertakings/ Universities/Recognised Research Institutions/Semi-Government or Statutory or Autonomous bodies:

- (A) (I) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre/department; or
- (II) with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in level 10 in the pay matrix or equivalent in the parent cadre/department; and
- (B) possessing the following educational qualifications and experience:

Essential:

- (I) Degree in Mechanical/Electrical/Electronics/ Industrial Engineering from a recognised University/ Institute.
- (II) Five years' practical experience in the field of Mechanical/Electrical/Electronics/Industrial Engineering in any industrial undertaking dealing with Planning/Development/Production/Research Techniques of Engineering Industry or in any Central/State Government Department or in any Public Sector Undertaking.

Desirable:

- (I) Two years' experience in industrial undertaking exploring latest trends/ techniques in Engineering/Manufacturing technology with special reference to Indian conditions and in techno-economic assessment of industrial projects.
- **Note 1:** The Departmental officers in the feeder category who are in direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

Period of deputation(including short-term contract) including period of deputation (including short-term contract) in another excadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organisation or Department of the Central Government, shall ordinarily not exceed four years. The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty six years as on the closing date of the receipt of applications.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5. Assistant	8*	General Central Service	Level-10	Not
Development		Group 'A' Gazetted, Non-	(Rs. 56100-177500)	applicable.
Officer	(2017)	Ministerial		
(Engineering)	*Subject to			
	variation dependent			
	on workload.			

(6)	(7)	(8)	(9)
As per the age limit prescribed for the	Recruitment on the basis of Combined	Not	Two years for
Engineering Services Examination	Engineering Services Examination:	applicable.	direct recruits.
conducted by the Union Public Service			
Commission from time to time.	The educational qualifications for		
	direct recruitment shall be as per the		
Note: The crucial date for determining	educational qualifications prescribed		
the age limit shall be the 1 st January of	for the Engineering Services		
the year in which the examination is	Examination conducted by the Union		
held.	Public Service Commission from time		
	to time.		

(10)	(11)	(12)	(13)
By direct recruitment on the basis of the results of	Not	Departmental	Consultation
Combined Engineering Services Examination	applicable.	Confirmation Committee	with the Union
conducted by the Union Public Service		(for considering	Public Service
Commission.		confirmation of direct	Commission
		recruits):	necessary.
Note:- Vacancies caused by the incumbent being			
away on deputation or long illness or study leave or		(i) Joint Secretary	
under other circumstances for duration of one year		(Establishment),	
or more may be filled on deputation basis from		Department of Industrial	
officers of Central Government/State Government/		Policy and Promotion	
Union territories-		– Chairman	
(A) (I) holding analogous post on regular basis in			
the parent cadre/Department; or		(ii) Deputy	
(II) with two years' service in the grade rendered		Secretary/Director	
after appointment thereto on a regular basis in posts		(Establishment),	
in level 8 in the pay matrix or equivalent in the		Department of Industrial	
parent cadre or department; and		Policy and Promotion	
(B) possessing the following educational		– Member	
qualifications and experience:			
(I) Bachelor's degree in Mechanical/Electrical/		(iii) Senior Most Industrial	
Electronics/Metallurgical Engineering of a		Advisor(Engineering)	
recognised University/ Institute.		- Member	
(II) Three years experience in production/research			
in the field of Mechanical/Electrical/Electronics/			
Metallurgical Engineering.			
(Period of deputation including period of deputation			
in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some			
other organization/department of the Central			
Government shall ordinarily not to exceed three			
years. The maximum age limit for appointment by			
deputation shall be not exceeding fifty six years as			
on the closing date of receipt of applications)			
on the crossing date of receipt of applications)		<u> </u>	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
6.Industrial	1*	General Central	Level-13A	Not
Adviser		Service Group 'A'	(Rs. 131100-216600)	applicable.
(Chemicals)	*(2017)	Gazetted, Non-		
	*Subject to variation	Ministerial		
	dependent on workload.			

(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	By composite method [Deputation (including short-term contract)] plus Promotion

(11)	(12)	(13)
Composite Method [Deputation(including short-term contract)] plus Promotion	Not applicable.	Consultation with Union Public Service Commission necessary.
Deputation(including short term contract):		necessary.
Officers under the Central/State Government/Union Territory Administrations/Public Sector Undertakings/Universities/ Recognised Research Institutions/Semi-Government or Autonomous Bodies or Statutory organizations:		
(A) (I) holding analogous post on regular basis in the parent cadre/department; or (II) with two years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in level 13 in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or Department; or		
(III) with six years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in level 12 in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or Department; and		
(B) possessing the following educational qualifications and experience:- Essential: 1(I) Masters degree in Chemistry from a recognised University/Institute.		
(II) Eleven years' practical experience of Planning/Development/Production/Research Techniques of Chemical Industry in any Government Department/Public Sector Undertakings/Recognised Research Institutions.		
2(I) Degree in Chemical Engineering from a recognised University/Institute.		
(II) Twelve years' practical experience of Planning/Development/Production/Research Techniques of Chemical Industry in any Government Department/Public Sector Undertakings/Recognised Research Institutions.		
Desirable: (I) Five Years' experience in Chemical Industry exploring latest trends/techniques in Chemical/Manufacturing		

Technology with special reference to Indian conditions and in techno-economic assessment of Industrial projects.

(II) Diploma in an European language other than English, viz., German/French/Russian/Italian or Spanish.

The Departmental Senior Development Officer (Chemicals) [in level 12 in the pay matrix] with six years regular service in the grade will also be considered alongwith the outsiders and in case he/she is selected for appointment to the post, the same shall be deemed to have been filled by promotion.

Note 1: The Departmental officers in the feeder category who are in direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

Period of deputation(including short-term contract) including period of deputation(including short-term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organisation/ Department of the Central Government, shall ordinarily not to exceed five years. The maximum age limit for appointment by deputation(including short-term contract) shall be not exceeding fifty six years as on the closing date of the receipt of applications.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
7.Senior	2*	General Central	Level-12	Not
Development		Service Group	(Rs. 78800-209200)	applicable.
Officer	(2017)	'A' Gazetted,		
(Chemicals)	*Subject to variation	Non-Ministerial		
	dependent on workload.			

(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	50 percent By composite method [Deputation (including short-term contract) plus Promotion],
				50 percent by Deputation (including short-term contract)

(11)	(12)	(13)
Composite Method [Deputation (including short-term contract)	Not	Consultation with
plus Promotion]	applicable.	Union Public Service
Deputation (including short term contract):		Commission necessary.
Officers under the Central/State Governments/Union Territory Administrations/Public Sector Undertakings/Universities/Recognised Research Institutions/Semi-Government or Autonomous bodies or Statutory organisations:		
(A) (I) holding analogous post on regular basis in the parent cadre/department;		
or		
(II) with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in level 11 in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; and		

(B) possessing the following educational qualifications and experience:-

Essential:

- 1 (I) Masters degree in Chemistry from a recognised University/Institute.
- (II) Nine years' practical experience of Planning/Development/ Production/Research Techniques of Chemical Industry in any Government Department/Public Sector Undertakings/Recognised Research Institutions.

OI

- 2 (I) Degree in Chemical Engineering from a recognised University/Institute.
- (II) Ten years' practical experience of Planning/Development/ Production/Research Techniques of Chemical Industry in any Government Department/Public Sector Undertakings/Recognised Research Institutions.

Desirable:

- (I) Five Years experience in Chemical Industry exploring latest trends/techniques in Chemical/Manufacturing Technology with special reference to Indian conditions and in techno-economic assessment of Industrial projects.
- (II) Diploma in an European language other than English, viz., German/French/Russian/Italian or Spanish.

The Departmental Development Officer (Chemicals) in level 11 in the pay matrix with five years regular service in the grade will also be considered alongwith the outsiders and in case he/she is selected for appointment to the post, the same shall be deemed to have been filled by promotion.

Note 1: The Departmental officers in the feeder category who are in direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

Period of deputation(including short-term contract) including period of deputation(including short term-contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organisation/Department of the Central Government, shall ordinarily not exceed four years. The maximum age limit for appointment by deputation(including short-term contract) shall be not exceeding fifty six years as on the closing date of the receipt of applications.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
8. Development	2*	General Central Service	Level-11	Selection
Officer		Group 'A' Gazetted, Non-	(Rs. 67700-208700)	
(Chemicals).	* (2017)	Ministerial		
	Subject to variation			
	dependent on work load			
	•			

(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Not	Not	Not	Not	50 percent By Promotion failing which by
applicable.	applicable.	applicable.	applicable.	Deputation (including short-term contract), 50 percent by Deputation(including short-term contract).

(11)	(12)	(13)
(11)	Departmental Promotion	Consultation with
Promotion:	Committee (for	Union Public
Assistant Development Officer (Chemicals) in level 10 in the pay matrix with five years regular service in the grade.	considering promotion): (i) Joint Secretary	Service Commission necessary while
Note 1: Where juniors who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service, or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying/eligibility service.	(Establishment), Department of Industrial policy and promotion – Chairman (ii) Deputy Secretary/Director (Establishment), Department of Industrial Policy and Promotion –	appointing an officer on Deputation (including short-term contract).
Deputation(including short-term contract):	Member	
Officers under Central/State Governments/Union Territory Administrations/Public Sector Undertakings/Universities/ Recognised Research Institutions/Semi Government or Autonomous bodies or Statutory Organisations: (A) (I) Holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or Department; or (II) With five years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in level 10 in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or Department; and (B) Possessing the following educational qualifications and experience:-	(iii) Deputy Secretary/Director, Department of Industrial Policy and Promotion or Department of Heavy Industry - Member	
(A) (I) Masters Degree in Chemistry from a recognised University/institute.		
(II) Four years' practical experience of Planning/ Development/ Production/ Research Techniques of Chemical Industry in any		

Government Department/Public Sector Undertakings/ Recognised Research Institutions; or

- (B) (I) Degree in Chemical Engineering from a recognised University/Institute.
- (II) Five years' practical experience of Planning/Development/ Production/Research Techniques of Chemical Industry in any Government Department/Public Sector Undertakings/ Recognised Research Institutes.

Desirable:

- (I) Three years experience in Chemical industry exploring latest trends/techniques in Chemical/Manufacturing technology with special reference to Indian conditions and in techno-economic assessment of industrial projects.
- (II) Diploma in an European language other than English, viz., German/French/Russian/Italian or Spanish.

Note 1: The Departmental Officers in the feeder category who are in direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputionists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

Period of deputation(including short-term contract) including period of deputation(including short-term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organisation/Department of the Central Government, shall ordinarily not exceed four years. The maximum age limit for appointment by deputation(including short-term contract) shall be not exceeding fifty six years as on the closing date of the receipt of applications.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
9. Assistant	2*	General Central Service	Level-10	Not
Development		Group 'A' Gazetted, Non-	(Rs. 56100-177500)	applicable.
Officer	*(2017)	Ministerial		
(Chemicals).	Subject to variation			
	dependent on work load			

(6)	(7)	(8)	(9)
Not exceeding 35 years.	Essential:	Not	One year for
		applicable.	direct
(Relaxable for Government	(A) (I) Masters Degree in Chemistry from a		recruits.
servants upto five years' in	recognised University/Institute.		
accordance with the instructions			
or orders issued by the Central	(II) Two years' practical experience of planning/		
Government).	development/production/research techniques		
	of chemical industry in any Government		
Note: The crucial date for	Department/Public Sector Undertakings/		
determining the age limit shall	Recognised Research Institutions;		
be the closing date for receipt of			
applications from candidates in	or		
India (and not the closing date	(B) (I) Degree in Chemical Engineering from		
prescribed for those residing in	recognized University/Institute.		
Assam, Meghalaya, Arunachal	recognized University/institute.		

Pradesh. Mizoram. Manipur. Nagaland, Tripura, Sikkim, (II) Three years' practical experience of Ladakh Division of Jammu and planning/ development/ production/ research techniques of chemical industry Kashmir state, Lahaul and Spiti in any district and Pangi Sub Division Government Department/Public Sector of Chamba district of Himachal Undertakings/Recognised Research Institutions; Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep). Desirable: (I) One year's experience in any industrial undertaking exploring latest trends/ techniques in chemical/manufacturing technology with special reference to Indian conditions and in techno-economic assessment of industrial projects. (II) Diploma in any European language other than English, viz. German/ French/ Russian/Italian or Spanish. Note 1. - Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission for reasons to be recorded in writing, in case of candidates otherwise well qualified. **Note 2.** - The qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes, if, at any stage of selection the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite

(10)	(11)	(12)		(13)	
By direct recruitment.	Not	Departmental	Confirmation	Consultation	with
	applicable.	Committee (for	considering	the Union	Public
Note:- Vacancies caused by the		confirmation of dire	ct recruits):	Service Com	mission
incumbent being away on				necessary.	
deputation or long illness or study		(i) Joint Secretary (Es	stablishment),		
leave or under any other		Department of Indust	rial policy and		
circumstances for duration of one		promotion	Chairman		
year or more may be filled on deputation basis from officers of Central/State Government/Union territories:- (A) (I) holding analogous post on regular basis in the parent cadre/Department; and (B) possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under column No.7.		(ii) Deputy Secretary/ (Estt.), Department of Policy and Promotion (iii) Deputy Secretary Department of Indust Promotion or Departr Industry	f Industrial — Member //Director, rial Policy and		

experience are not likely to be available to fill

up the vacancies reserved for them.